Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No.539/2026, Korha P.S. Case No.- 21/2026
Deepak Kumar Singh and others Vs. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.- 539/2026

Korha P.S. Case No.- 21/2026

1. दीपक कुमार सिंह पिता स्व0 खोखा सिंह, उ0त0 30 वर्ष,
साकिन– महिनाथपुर सिसिया, थाना– कोढा, जिला– कटिहार
2. भानु राय पिता रमेश राय, उ0त0 24 वर्ष,
3. पप्पु कुमार राय पिता स्व0 कंचियालाल राय, उ0त0 25 वर्ष,
साकिन– सिसिया, थाना– कोढा,
जिला– कटिहार ....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री...................सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ....संजय कुमार सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 09.06.2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 10.04.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिह द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक कैलाश कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष कोढा को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 22.01.2026 को संध्या 7:00 बजे के करीब मेरे घर के बगल में छोटा कार खड़ी थी, उसमें दो आदमी बैठा था। मैं उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहां गाड़ी क्यों लगाये हैं। आप लोग कौन हैं तो गाड़ी में बैठा दो ल़ड़का मेरे साथ गाली गलौज करने लगा तो अगल–बगल के लोग आये तो वो दोनों ल़ड़का गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद मैं अपने कोचिंग संस्थान शिशिया हाट आ गये। कुछ देर बाद फिर बड़ी गाड़ी मेरे कोचिंग संस्थान के पास आयी, जिसमें से पांच लड़का उतर कर मेरे साथ गाली गलौज किया और धक्का–मुक्की भी किया इतने में हल्ला–गुल्ला सुनकर आसपास के लोग एवं मेरे विद्यार्थी लोग वहां आ गये तो फिर वो लोग भाग गये। उन पांचों में से चार लोगों की पहचान हई। उत्कर्ष कुमार, भानु राय, पप्पु कुमार राय, ज्ञानु कुमार साकिन शिशिया, थाना– कोढा, जिला कटिहार थे। उसके बाद समय करीब 9:00 बजे रात्रि के समय चार गाड़ी मेरे कोचिंग संस्थान के पास आ कर रूकी जिसमें से उत्कर्ष, भानु, पप्पु, ज्ञानु एवं और अज्ञात आठ दस व्यक्ति उत्तर कर मुझे खोजने लगा कि मास्टर किधर है तो उत्कर्ष मुझे पकड़ लिया और बोला यही मास्टर है, उसके बाद सभी लोग मेरे साथ गाली–गलौज आैर मारपीट करने लगे और मुझे जबर्दस्ती खींचकर गाड़ी में बैठाने लगे। बाकी लोगों के हाथ में फट्ठा, लाठी और चाकु था। हल्ला–गुल्ला सुन कर मेरा विद्यार्थी अमरदीप कुमार मुझे बचाने आया, उत्कर्ष और दीपक कुमार सिह मुझे पकड़ लिया और पटक दिया और उत्कर्ष इसके मुंह में बंदुक डाल दिया। हल्ला–गुल्ला सुनकर जब आसपास के लोग दौड़ कर आए तो उत्कर्ष और ज्ञाणु जान मारने के नियत से मुझ पर एवं अमरदीप पर चार से पांच राउंड गोली चलाये। इस क्रम में ग्रे रंग के कार का पीछे और साईड का शीशा टुट गया।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Web copy of civil court Katihar

है। आवेदकगण निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप झूठा एवं मनगढंत है। आवेदकगण को पूर्व दुश्मनी के चलते झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक को कोई गंभीर चोट नहीं आयी है। इस वाद में उभय पक्षों के बीच सुलह हो गयी है तथा संयुक्त सुलहनामा भी दाखिल है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार हैं तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक कैलाश कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध कोढा थाना कांड संख्या–21/2026 दिनांक 23.01.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम दर्ज किया गया है। मामले में उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा अभिलेख पर है, जिससे घटनास्थल पर शांति भंग होने तथा साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रभावित किये जाने की कोई आशंका नहीं है। अभियुक्त उत्कर्ष पर बंदूक से फायरिंग किये जाने का आरोप है जो इस मामले में आवेदक नहीं है। घटना का कारण सूचक के घर के बगल में छोटी कार खड़ी थी, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे जिनसे वहां बैठने का कारण पूछने पर गाली–गलौज हुआ, जिसके बाद अन्य अभियुक्त द्वारा कोचिंग संस्थान पहुंचकर मारपीट की घटना कारित किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में कोई अवैध हथियार बरामद नहीं किया गया है और न हीं अभिलेख पर कोई जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है। कांड दैनिकी में आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है।

7. उपरोक्त विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उभय पक्षों के बीच हुए संधि को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचनपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः–

1. आवेदकगण के एक जमानतदार उनके माता पिता अथवा परिवार के सदस्य होंगे।

2. आवेदकगण इस आशय का शपथपत्र दाखिल करेंगे कि मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा भविष्य में इस तरह के मामले में संलिप्त नहीं होंगे।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	09-06-2026
Date of reserving order	09-06-2026
Uploading Date	09-06-2026
Uploaded by	

Web Copy Civil Court, Katihar